भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1813**
10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

**विषय: कृषि इनपुट की उपलब्धता**

**1813. श्री राम शिरोमणि वर्माः**

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों, विशेषकर श्रावस्ती और बलरामपुर जैसे आकांक्षी जिले जो बाढ़ प्रवण क्षेत्र भी हैं, के किसानों को समय पर डीएपी, यूरिया और अन्य उर्वरकों की निरंतर कमी का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन जिलों में सीमांत, भूमिहीन और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए कृषि इनपुट की उपलब्धता, सिंचाई सुविधाओं और फसल बीमा के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा रहा है; और

(ग) क्या सरकार का इन बाढ़ प्रवण और वर्षा आधारित क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसी विशेष कृषि पैकेज, वैकल्पिक फसल योजना या जल संरक्षण कार्यक्रमों को लागू करने का प्रस्ताव है?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

(क) किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार प्रत्येक फसल मौसम (जैसे रबी और खरीफ) से पहले यूरिया, डाइअमोनियम फॉस्फेट (डीएपी), म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी), कॉम्प्लेक्स और सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) जैसे प्रमुख उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन करती है। यह आकलन, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आयोजित "कृषि इनपुट के लिए क्षेत्रीय सम्मेलनों" के माध्यम से किया जाता है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आकलित उर्वरकों की आवश्यकता की सूचना उर्वरक विभाग को दी जाती है ताकि फसल मौसम के दौरान उर्वरकों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, राज्य सरकारों के साथ साप्ताहिक आधार पर उर्वरकों की उपलब्धता की निगरानी की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि राज्य के श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। श्रावस्ती और बलरामपुर में दिनांक 01.04.2025 से 31.01.2026 की अवधि के दौरान, उर्वरक उपलब्धता से संबंधित प्रासंगिक विवरण निम्नानुसार हैं:

**श्रावस्ती-**

(मात्रा एमटी में)

| क्र.सं. | उर्वरक | संचयी उपलब्धता | बिक्री | उपलब्ध स्टॉक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | यूरिया | 53244 | 49473 | 3771 |
| 2 | डीएपी | 12084 | 9706 | 2378 |
| 3 | एनपीके | 4542 | 3268 | 1274 |

**बलरामपुर-**

(मात्रा एमटी में)

| क्र.सं. | उर्वरक | संचयी उपलब्धता | बिक्री | उपलब्ध स्टॉक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | यूरिया | 81973 | 75459 | 6514 |
| 2 | डीएपी | 10444 | 6241 | 4203 |
| 3 | एनपीके | 4216 | 2869 | 1347 |

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम की 10 फसलें अर्थात धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, मूंगफली, तिल, अरहर और सोयाबीन, तथा रबी मौसम की 8 फसलें, अर्थात् गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, रेपसीड, अलसी और आलू, ग्राम पंचायत स्तर पर पीएमएफबीवाई के अंतर्गत अधिसूचित की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) को राज्य के 60 चयनित जिलों में विकास ब्लॉक स्तर पर कार्यान्वित किया जाता है, जिन्हें फसल-विशिष्ट क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया है।

ये दोनों योजनाएँ, राज्य के सभी ऋणी और गैर-ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक आधार पर कार्यान्वित की गई हैं। यह योजना, सभी प्रकार के किसानों, जिनमें लघु, सीमांत, मध्यम, अर्ध-मध्यम और बड़े किसानों के साथ-साथ सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भूमिहीन व्यक्ति जो भूमि किराए पर लेते हैं या बटाई पर खेती करते हैं सहित सभी वर्गों के लिए उपलब्ध है।

राज्य के श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में वर्ष 2024-25 और 2025-26 के खरीफ और रबी सीजन के आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

| क्र.सं. | वर्ष | जिला | बीमित किसानों की संख्या | लाभान्वित किसानों की संख्या | वितरित मुआवजा (लाख रुपये में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | खरीफ 2024 | बलरामपुर | 15,950 | 1,786 | 82.41 |
| | | श्रावस्ती | 25,261 | 39 | 3.95 |
| | | **उत्तर प्रदेश** | **15,31,689** | **3,65,770** | **28588.54** |
| 2 | रबी 2024-25 | बलरामपुर | 5,248 | 1,375 | 27.00 |
| | | श्रावस्ती | 25,046 | 114 | 13.00 |
| | | **उत्तर प्रदेश** | **15,85,577** | **1,17,762** | **13843.00** |
| 3. | खरीफ 2025 | बलरामपुर | 23,263 | 20 | 2.06 |
| | | श्रावस्ती | 25,715 | 89 | 7.59 |
| | | **उत्तर प्रदेश** | **20,68,255** | **2,88,349** | **24717.09** |
| 4. | रबी 2025-26 | बलरामपुर | 8,509 | लागू नहीं | |
| | | श्रावस्ती | 22,599 | | |
| | | **उत्तर प्रदेश** | 18,78,635 | | |

सरकार ने वर्ष 2015-16 से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी) की केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) कार्यान्वित कर रही। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक, पीडीएमसी को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के एक घटक के रूप में कार्यान्वित किया गया था। वर्ष 2022-23 से, यह योजना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के तहत कार्यान्वित की जा रही है। सूक्ष्म सिंचाई से पानी की बचत होती है, साथ ही फर्टिगेशन के माध्यम से उर्वरकों के उपयोग में, श्रम व्यय में और अन्य इनपुट लागतों में कमी आती है तथा किसानों की समग्र आय में वृद्धि होती है। सरकार पीडीएमसी के अंतर्गत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें भी अपने राज्य बजट से किसानों को टॉप-अप सब्सिडी प्रदान करती हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए सहायता प्रति लाभार्थी 5 हेक्टेयर तक सीमित है। श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों के लिए पीडीएमसी के अंतर्गत वर्ष 2015-16 से 2025-26 तक कवर किए गए क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:

| **क्र.सं.** | **जिला** | **कवर किया गया क्षेत्र (हेक्टेयर में)** |
|---|---|---|
| 1 | श्रावस्ती | 3560 |
| 2 | बलरामपुर | 6518 |

*****